विविध **बैंक प्रकरण संख्या 123/2022**(GCMS : **2022**/174) भारतीय स्टेट बैंक, जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रसेनजीत घोष, मुख्य/शाखा प्रबन्धक, **शाखा सादुलशहर** जिला श्रीगंगानगर **बनाम श्री प्रेम कुमार** चौधरी [illegible] जगदीश **कुमार निवासी मकान नं. 48–49, बेगाराम मार्ग, सेतिया** कॉलोनी, गली नं. **9, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.09.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी प्रेम कुमार चौधरी को ऋण सुविधा के रूप में 10.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 05.09.2019 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी प्रेम कुमार चौधरी की **रिहायशी सम्पत्ति किल्ला नं. 17, मुरब्बा नं. 54/56 (क्षेत्रफल 30' गुणा 50' वर्गफुट), चक 1 ए छोटी, गली नं. 9, बेगाराम मार्ग, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर** को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है, जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 24.03.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 07.04.2022 को 06,24,399/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के [illegible] अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर अप्रार्थीगण को** [illegible] **दिवस का नोटिस दिनांक 07.04.2022 को** [illegible] **करवाने का जारी** [illegible] **गया।** धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थी को रजिस्[illegible]क से दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:12:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

08.04.2022 को भिजवाये गये है तथा नोटिस प्राप्ति की ऑनलाईन ट्रेक के अनुसार अप्रार्थी ऋणी को नोटिस प्राप्त हो गया है **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी प्रेम कुमार चौधरी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी अपनी **रिहायशी सम्पत्ति किल्ला नं. 17, मुरब्बा नं. 54/56 (क्षेत्रफल 30' गुणा 50' वर्गफुट), चक 1 ए छोटी, गली नं. 9, बेगाराम मार्ग, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी प्रेम कुमार चौधरी** को 10.00/—लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति 05.09.2019 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी प्रेम कुमार चौधरी की **रिहायशी सम्पत्ति किल्ला नं. 17, मुरब्बा नं. 54/56 (क्षेत्रफल 30' गुणा 50' वर्गफुट), चक 1 ए छोटी, गली नं. 9, बेगाराम मार्ग, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 24.03.2022 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 07.04.2022 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 08.04.2022 को भिजवाये गये है, जसकी तामील ... अप्रार्थी के आनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील हो गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:12:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी प्रेम कुमार चौधरी द्वारा अपनी **रिहायशी सम्पत्ति किल्ला नं. 17, मुरब्बा नं. 54/56 (क्षेत्रफल 30' गुणा 50' वर्गफुट), चक 1 ए छोटी, गली नं. 9, बेगाराम मार्ग, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वितिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 07.04.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 07.04.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 08.04.2022 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी ने [illegible] समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न [illegible] नोटिस **पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।** इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी प्रेम कुमार चौधरी के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई रिहायशी संपत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:12:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त **प्रार्थना पत्र** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता** है और अप्रार्थी **ऋणी प्रेम कुमार चौधरी की रिहायशी सम्पत्ति किल्ला नं. 17, मुरब्बा नं. 54/56 (क्षेत्रफल 30' गुणा 50' वर्गफुट), चक 1 ए छोटी, गली नं. 9, बेगाराम मार्ग, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त चल सम्पति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:12:20 IST
Reason: SelfAttested